

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संचिका संख्या-6/एफ1-02/2026 श्र0सं0- 4958

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,  
उप श्रमायुक्त (मु०)।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, दरभंगा/गोपालगंज/किशनगंज/सारण (छपरा)/बेगूसराय/मधुबनी  
/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/रोहतास/ मुजफ्फरपुर/लखीसराय एवं सहरसा ।

उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/सारण (छपरा) ।

श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी ।

पटना, दिनांक-19/8/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण के अन्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103 (सामान्य श्रेणी), विपत्र कोड-26-2230017890104 (अनुसूचित जाति श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017960102 (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

3 (क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :-

| क्र० सं० | विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान | जिला का नाम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या | आवंटित राशि (रु) | अभ्युक्ति                                                                 |
|----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3           | 4                                 | 5                              | 6                | 7                                                                         |
| 1        | 37.01                          | दरभंगा      | जिला पदाधिकारी, दरभंगा            | 08                             | 40000            | श्रम अधीक्षक, दरभंगा का पत्रांक-2384, दिनांक-07.07.2026 के आलोक में।      |
| 2        | 37.01                          | गोपालगंज    | जिला पदाधिकारी, गोपालगंज          | 04                             | 20000            | श्रम अधीक्षक, गोपालगंज का पत्रांक-862, दिनांक-10.07.2026 के आलोक में।     |
| 3        | 37.01                          | किशनगंज     | जिला पदाधिकारी, किशनगंज           | 01                             | 5000             | श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-826, दिनांक-15.07.2026 के आलोक में।      |
| 4        | 37.01                          | सारण (छपरा) | जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)       | 04                             | 20000            | श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) का पत्रांक-1541, दिनांक-14.07.2026 के आलोक में। |
| 5        | 37.01                          | बेगूसराय    | जिला पदाधिकारी, बेगूसराय          | 01                             | 5000             | श्रम अधीक्षक, बेगूसराय का पत्रांक-1311, दिनांक-10.07.2026 के आलोक में।    |
| 6        | 37.01                          | मधुबनी      | जिला पदाधिकारी, मधुबनी            | 07                             | 35000            | श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक-1226, दिनांक-16.07.2026 के आलोक में।      |

(m)

|   |       |                |                                   |    |       |                                                                                                          |
|---|-------|----------------|-----------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 37.01 | पूर्वी चम्पारण | जिला पदाधिकारी,<br>पूर्वी चम्पारण | 13 | 65000 | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक-1131, दिनांक-22.07.2026 के आलोक में।                             |
| 8 | 37.01 | रोहतास         | जिला पदाधिकारी,<br>रोहतास         | 08 | 40000 | श्रम अधीक्षक, रोहतास का पत्रांक-1134, दिनांक-21.07.2026 एवं पत्रांक-1135, दिनांक-21.07.2026 के आलोक में। |
| 9 | 37.01 | सहरसा          | जिला पदाधिकारी,<br>सहरसा          | 08 | 40000 | श्रम अधीक्षक अधिनियम, सहरसा का पत्रांक-1104, दिनांक-25.07.2026 के आलोक में।                              |

3 (ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु :-

| क्र०सं० | कार्यालय का नाम                       | विमुक्त बाल श्रमिक की सं० | 21-सामग्री और आपूर्ति                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                      | कुल योग (रु) | अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)                                           |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                           | विषय शीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/-राशन एवं 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषय शीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषय शीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से |              |                                                                                      |
| 1       | 2                                     | 3                         | 4                                                                                                     | 5                                                                                             | 6                                                                                                    | 7            | 8                                                                                    |
| 1       | उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर              | 08                        | 22400                                                                                                 | 800                                                                                           | 800                                                                                                  | 24000        | उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1818 दिनांक-13.07.2026 के आलोक में।              |
| 2       | उप श्रमायुक्त, सारण (छपरा)            | 04                        | 11200                                                                                                 | 400                                                                                           | 400                                                                                                  | 12000        | सहायक श्रमायुक्त, सारण (छपरा) के पत्रांक-1571 दिनांक-17.07.2026 के आलोक में।         |
| 3       | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी | 13                        | 36400                                                                                                 | 1300                                                                                          | 1300                                                                                                 | 39000        | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक-1130 दिनांक-22.07.2026 के आलोक में। |

4 (क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :-

| क्र० सं० | विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान | जिला का नाम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या | आवंटित राशि (रु) | अभ्युक्ति                                                                 |
|----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3           | 4                                 | 5                              | 6                | 7                                                                         |
| 1        | 37.01                          | दरभंगा      | जिला पदाधिकारी, दरभंगा            | 09                             | 45000            | श्रम अधीक्षक, दरभंगा का पत्रांक-2384, दिनांक-07.07.2026 के आलोक में।      |
| 5        | 37.01                          | बेगूसराय    | जिला पदाधिकारी, बेगूसराय          | 03                             | 15000            | श्रम अधीक्षक, बेगूसराय का पत्रांक-1311, दिनांक-10.07.2026 के आलोक में।    |
| 5        | 37.01                          | मुजफ्फरपुर  | जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर        | 03                             | 15000            | उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-1900, दिनांक-21.07.2026 के आलोक में। |

|   |       |                |                                   |    |       |                                                                                                                |
|---|-------|----------------|-----------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 37.01 | मधुबनी         | जिला पदाधिकारी,<br>मधुबनी         | 02 | 10000 | श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक-1226,<br>दिनांक-16.07.2026 के आलोक में।                                        |
| 7 | 37.01 | पूर्वी चम्पारण | जिला पदाधिकारी,<br>पूर्वी चम्पारण | 04 | 20000 | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक-1131,<br>दिनांक-22.07.2026 के आलोक में।                                |
| 8 | 37.01 | रोहतास         | जिला पदाधिकारी,<br>रोहतास         | 01 | 5000  | श्रम अधीक्षक, रोहतास का पत्रांक-1134,<br>दिनांक-21.07.2026 एवं पत्रांक-1135,<br>दिनांक-21.07.2026 के आलोक में। |
| 8 | 37.01 | सहरसा          | जिला पदाधिकारी,<br>सहरसा          | 03 | 15000 | श्रम अधीक्षक अधिनियम, सहरसा का<br>पत्रांक-1104, दिनांक-25.07.2026 के आलोक<br>में।                              |

4 (ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-मांग संख्या-26-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/- की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

| क्र०सं० | कार्यालय का नाम                       | विमुक्त बाल श्रमिक की सं० | 21-सामग्री और आपूर्ति                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                      | कुल योग (रु) | अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)                                           |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                           | विषय शीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/-राशन एवं 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषय शीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषय शीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/-प्रति बाल श्रमिक की दर से |              |                                                                                      |
| 1       | 2                                     | 3                         | 4                                                                                                     | 5                                                                                             | 6                                                                                                    | 7            | 8                                                                                    |
| 1       | उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर              | 04                        | 11200                                                                                                 | 400                                                                                           | 400                                                                                                  | 12000        | उप श्रमायुक्त मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1818 दिनांक-13.07.2026 के आलोक में।              |
| 2       | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी | 04                        | 11200                                                                                                 | 400                                                                                           | 400                                                                                                  | 12000        | श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक-1130 दिनांक-22.07.2026 के आलोक में। |

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

| क्र० सं० | विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान | जिला का नाम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या | आवंटित राशि (रु) | अभ्युक्ति                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3           | 4                                 | 5                              | 6                | 7                                                                                                                                      |
| 1        | 37.01                          | लखीसराय     | जिला पदाधिकारी,<br>लखीसराय        | 01                             | 5000             | श्रम अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक-620,<br>दिनांक-27.06.2026 के आलोक में।                                                                |
| 2        | 37.01                          | गोपालगंज    | जिला पदाधिकारी,<br>गोपालगंज       | 01                             | 5000             | श्रम अधीक्षक, गोपालगंज का पत्रांक-862,<br>दिनांक-10.07.2026 के आलोक में। CFMS में Tag नहीं होने के कारण राशि आवंटित नहीं की जा सकी है। |

(10)

6. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2121, दिनांक-16.04.2026 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना" अनुदान की राशि रु 3000/- (रु तीन हजार) की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु एवं रु 5000/- (रु पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवंटित की गयी है।
7. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल कर के राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग कोई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
8. अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
9. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0 भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
11. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
12. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
13. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त (मु०)।

ज्ञापांक: 6/एफ1-02/2026 श्र0सं0-

4958

पटना, दिनांक- 19/8/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

  
(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त (मु०)।